रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032025-261703
CG-DL-E-19032025-261703

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946
No. 1223] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

का.आ. 1236(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 20 ग में, उपखंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात :—

"(4) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो इस आदेश के प्रकाशन की तारीख पर जैव उत्प्रेरक का विनिर्माण अथवा आयात कर रहा है, जिसमें कोई मानक निर्दिष्ट नहीं किये गए हैं, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए ऐसे जैव उत्प्रेरक को विक्रय, बिक्री, विक्रय के लिए प्रस्ताव, भण्डार या प्रदर्शन के लिए विनिर्माण अथवा आयात को जारी करने के लिए उप-खंड (5) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने के अधीन होगा।"

3. उक्त आदेश में, प्ररूप छ -3 में, मद 5 के पश्चात, दूसरे पैरा में “22 फरवरी, 2024” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “16 जून, 2025” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे ।

[फा. सं. 3-14/2017 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल खोबुंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग –2, खंड-3 उप खंड (ii) में सा. का. नि. 758 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और संख्यांक 897 (अ.) तारीख 17 फरवरी, 2025 द्वारा अंतिम संशोधित की गयी थी ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 17th March, 2025

S.O. 1236(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed)(Control) Order, 1985, namely:-

1. Short title and Commencement-

(1) This Order may be called the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed)(Control) Second Amendment Order, 2025

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 20C, for sub-clause (4) the following shall be substituted, namely:-

“(4) Notwithstanding anything contained in this order, any person manufacturing or importing a biostimulant as on the date of publication of this order for which no standards have been specified, may, subject to making an application for grant of provisional registration under sub-clause (5), continue to manufacture or import for sale, sell, offer for sale, stock or exhibit, such biostimulants for a period of three months from the date of publication of this order.”

3. In said Order, in Form G-3, in second paragraph occurring after item 5, for figures, letters and words “22nd day of February 2025”, the figures, letters and words “16th day of June 2025”, shall be substituted.

[F.NO.3-14/2017fertlaw]

FRANKLIN L KHOBUNG, Jt Secy.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India *vide* G.S.R. number 758(E), dated the 25th September, 1985 and was last amended *vide* number S.O.897 (E) dated 17.02.2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.19 11:36:38 +05'30'